


15/12/23

पतावली प्राप्तिगण द्वारा प्राप्ति पत्र तलबी का
पेश करने पर तलब की गई। प्रकरण में प्राप्तिगण देवगलाल
सिधु अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्राप्ति पत्र निम्न साक्षी
श्री 23 सिद्ध 1 सपत्ति धारा 15।जा.सी. का पेश कर प्रकरण को सिद्धी सिद्धी जाने का
निवेदन किया। प्राप्तिगण की पहचान उक्त अधिवक्ता
द्वारा की गई। अतः प्रकरण में प्राप्तिगण द्वारा कोई
कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को वही स्तर पर
शेष किया जाता है। पतावली निम्नलिखित श्रुति होकर
बन्धन से ऊपर है।


अधिवक्ता

निर्दिष्ट सुनाया गया। 1.

